यौन हिंसा आपकी गलती नहीं है !

खामोश मत रहिए ... मदद माँगिये !

- 'वह' एक ७ वर्षीय जिंदादिल लड़की थी । उसके गांव का एक दूर का रिश्तेदार नौकरी की तलाश में आया और उसी के घर में किरायेदार के तौर पर रहने लगा, उसे वह मामा कहती थी । जब घर पर कोई नहीं होता था तो वह व्यक्ति लड़की के साथ कई बार 'खेल' के नाम पर यौन हरकते करता था जिससे वह असहज हो जाती थी । उसने धमकी दी कि यदि वह किसी को इस बारे में बतायेगी तो उसकी माँ मर जायेगी । लेकिन लड़की की माँ ने उसके व्यवहार में आये बदलाव पर गौर किया और उसे भरोसे में लेकर इसका कारण पूछा । लड़की ने कहा, "मामा ने कहा है कि यदि मैं यह किसी को बताउँगी तो मेरी माँ मर जायेंगी... माँ क्या सच में ऐसा होगा ?"
- ऑफिस में काम करना और घर वापस जाना 'उसकी' नियमित दिनचर्या थी । एक दिन वह ऑफिस में बीमार पड़ गई, पर वह डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही थी। सहेली के बार-बार आग्रह करने के बाद उसने बताया कि एक दिन काम से लौटते वक्त, उसके इलाके में रहने वाले एक आदमी ने किसी काम के बहाने से अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की । वह इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा गई कि कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई । उस व्यक्ति ने धमकी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो वह लड़की को बदनाम कर देगा ।
- 'वह' एक शाम घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी; उसे पता था बच्चे घर पर उस की राह देख रहे होंगे । तभी उसका बॉस उस रास्ते से अपनी कार से गुजरा और उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया और बॉस ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया जो पीकर वह अचेत हो गई । सुबह जब वह उठी तो वह गाडी में थी और उसके कपडे अस्त-व्यस्त थे । उसे बस इतना ही याद आया कि उसने कोल्ड ड्रिंक पी थी । बॉस के हाथ में बंदूक थी । उन्होने कहा "यदि तुम इसकी रिपोर्ट कराओगी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुना तुमने ?"

ऐसा क्यों हुआ... ?

यौन हिंसा होने पर चुप रहने के कारण

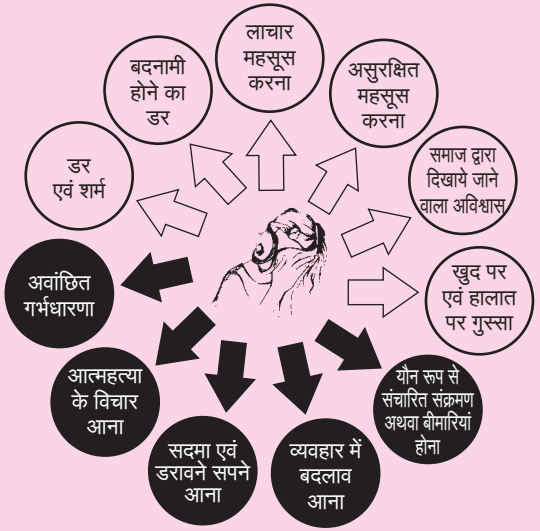

यौन हिंसा का शिकार होने के परिणाम

खामोश रहकर सहन न करें - यौन हिंसा आपकी गलती नहीं है । यह उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है, जिसने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है । समाज क्या सोचेगा अथवा लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर चुप मत रहें । हिंसा के अनेक प्रभाव होते हैं । स्त्री अत्याचार निवारण केंद्र,(आझिलो)/नोर्थ गोवा डिस्ट्रिक अस्पताल, म्हापसा गोवा में, आपको इस परिस्थिति के प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

स्त्री अत्याचार निवारण विभाग से मिलने वाली नि:शुल्क सेवायें:

अस्पताल :
- नि:शुल्क उपचार
- चिकित्सा परीक्षण

पुलिस :
- पीड़ित व्यक्ति को अधिकारों की जानकारी देना
- पुलिस प्रक्रियाओं को समझाना
- पुलिस मे शिकायत दर्ज कराना

कानूनी सहायता :
- पीड़ित व्यक्ति को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना
- अदालती प्रक्रियाओं से अवगत कराना
- नि:शुल्क कानूनी सहायता

स्त्री अत्याचार निवारण केंद्र में :
- पीड़ित व्यक्ति कि सुरक्षा की योजना
- गोपनीयता बरकरार रखना
- बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े रहना
- परामर्श
- अस्थायी आश्रय कि व्यवस्था
- पुनर्वासन के लिए मदद
- किसी भी समय आपकी मदद करना
- नि:शुल्क सेवायें

अपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) (अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम २०१३) के धारा ३५७ सी के अनुसार, यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को सरकारी या निजी अस्पताल में सबसे पहले नि:शुल्क प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा उपचार दिये जाने का अधिकार है । इस अधिकार से इनकार करना कानून में दंडनीय अपराध है ।

मदद मांगे... अन्याय को सहन न करें ... !

स्त्री अत्याचार निवारण केंद्र

(आझिलो)/नोर्थ गोवा डिस्ट्रिक अस्पताल, ओ.पी.डी. क्र.३३, फार्मसी के पास, म्हापसा गोवा-४०३५०७.

समय: सोम.से शुक्र. सु. ९:०० से शाम. ४:३०, शनि. सु. ९:०० से दोपहर १२:३०

फोन : ०८३२ २२५४४४४ (आपातकालिन विभाग) / ०८३२ २२६२२११